मुकुल गोयल,
आई0पी0एस0

परिपत्र संख्या:डीजी- 45 -2021

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः दिसम्बर 16, 2021

प्रिय महोदय,

आप अवगत होंगे कि प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रायः विभिन्न प्रकार के विवाद जैसे-भूमि सम्बन्धी, जातीय तनाव, आपसी झगड़े एवं साम्प्रदायिक विवाद आदि होते रहते है, जिसके कारण शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना पुलिस विभाग के लिये चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे विवादों/झगड़ों में यदि स्थानीय स्तर पर सम्भ्रान्त व्यक्तियों का भी सहयोग लिया जाये तो विवादों के निपटारे अधिक कुशलता एवं समयबद्ध तरीके से किये जा सकते है, साथ ही आम नागरिकों को स्थानीय थाने एवं न्यायालय जाने में होने वाली कठिनाइयों से बचने का एक विकल्प भी रहेगा। इस प्रकार सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा का व्यवहारिक सदुपयोग भी हो सकेगा।

2- कम्युनिटी पुलिसिंग के सम्बन्ध में इस मुख्यालय द्वारा पूर्व में परिपत्र संख्या-डीजी-26/2018 दिनांक 30.05.2018 द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है। पूर्व में निर्गत निर्देशों के साथ ही निम्नांकित बिन्दु विशेष रूप से विचारणीय हैः-

- ग्रामीण पृष्ठभूमि के अधिकांश प्रकरण जमीन सम्बन्धी विवाद/छोटे-मोटे झगड़े से सम्बन्धित होते है जो कभी-कभी बड़ी घटना में परिवर्तित हो जाते है। टाउन एरिया, नगर पालिका परिषद व नगर निगम के क्षेत्रों में मुख्यतः छोटे-मोटे वाद-विवाद साम्प्रदायिक रूप ले लेते है। ऐसे मामलों को न्यून करने के लिए स्थानीय/क्षेत्रीय संभ्रान्त नागरिकों का सहयोग अत्यावश्यक हो जाता है। इसी आवश्यकता के दृष्टिगत कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम (एस-10) को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। वर्तमान में विधान सभा निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत पुलिस एवं जन सामान्य के मध्य सामंजस्य हेतु एस-10 को और अधिक प्रभावी किया जाना अत्यावश्यक है।
- एस-10 में गांवों के प्रधान एवं पूर्व प्रधान को आवश्यकतानुसार उसका सदस्य अवश्य बनायें तथा अन्य सम्भ्रान्त/सामाजिक व्यक्ति जो इन झगड़ों को सुलझाने में पुलिस की मदद कर सकते है, उनको भी सदस्य बनाया जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में इस कमेटी का सूत्र वाक्य ''गांव का झगड़ा गांव मे सुलझाए, कोर्ट-कचेहरी हम क्यों जाएं'' होना चाहिए तथा शहरी क्षेत्र के मोहल्लों में इसका उद्देश्य सामुदायिक सौहार्द बढ़ाना एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित करना होना चाहिए।

- बीट इंचार्ज द्वारा एक माह में एक दिन ग्राम/मोहल्ले में जाकर एस-10 की मीटिंग अवश्य करनी चाहिए। साथ ही प्रत्येक गांव के एस-10 के सदस्यों का वाट्सएप ग्रुप बनाकर निरन्तर सम्पर्क स्थापित किये रहना चाहिए तथा सदस्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि गांव में किसी प्रकार का विवाद/झगड़ा होने पर उसकी सूचना तत्काल बीट इंचार्ज को दें। इस प्रकार की कार्यप्रणाली से छोटे-मोटे विवादों का हल स्थानीय स्तर पर सम्भव हो सकता है।
- शहरी क्षेत्रों में थाना स्तर पर पीस कमेटी पूर्व से ही प्रचलित है तथा त्योहारों से पहले उनकी मीटिंग पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाती है। इसी प्रकार मोहल्ले स्तर पर एस-10 सदस्यों की भी मीटिंग साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिये किया जाना चाहिए।
- गोष्ठी में बीट इंचार्ज/महिला बीट प्रभारी द्वारा लड़कियों से छेड़छाड़ रोकना तथा शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में साफ-सफाई रखना, यातायात नियमों का पालन करना इत्यादि के बारे में प्रेरित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में बीट इंचार्ज द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यदि कोई घटना घटित होती है तो पुलिस बल के पहुँचने से पहले एस-10 के सदस्य स्थिति को नियंत्रण में रखने का प्रयास करेंगे। एस-10 का कोई भी व्यक्ति यदि किसी अपराधी को पकड़वाने में सहयोग प्रदान करता है तो उसको सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जा सकता है।
- ग्राम चौकीदार ऐसी गोष्ठी में अवश्य भाग लें और उन्हें भी एस-10 के सभी सदस्यों से सम्पर्क में रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्षेत्राधिकारी एस-10 के कम से कम एक सदस्य से प्रत्येक सप्ताह मोबाईल फोन पर बात कर लें, जिससे क्षेत्र की कुशलता ज्ञात हो सके।
- एस-10 के सदस्यों को असामाजिक तत्वों के चिन्हीकरण, उनके द्वारा किये जा रहे गैर कानूनी कार्यों की जानकारी और अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के चिन्हीकरण में सहयोग लिया जाये तथा समय से सूचना पुलिस को देने हेतु प्रोत्साहित भी किया जाए।
- एस-10 के सदस्य गौकशी व अवैध पशु तस्करी के बारे में थाना प्रभारी को अवश्य जानकारी दें। पूर्व से ही सभी साम्प्रदायिक विवादों की जानकारी एस-10 की गोष्ठी में सभी सदस्यों को दें तथा उनके बारे में विस्तृत विवरण बीट इंचार्ज अवश्य रखें। कोई भी घटना घटित होने पर उसकी मोबाईल से फोटो लेकर बीट इंचार्ज/थाना प्रभारी को देने के लिये प्रेरित करें।
- पुलिस द्वारा किये गये अच्छे कार्यों की इन गोष्ठियों में अवश्य जानकारी दी जाये व प्रचार-प्रसार किया जाये।

उपरोक्त कार्यवाहियों से जहॉ अपराधों की रोकथाम की जा सकेगी वहीं थाना क्षेत्र में घटित घटनाओं के अनावरण तथा चिन्हित/पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही भी किया जाना सम्भव होगा तथा पुलिसकर्मियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा एवं अपराधियों का मनोबल गिरेगा। जनता व पुलिस के बीच दूरी भी कम होगी।

मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि उपरोक्त विषयों से अपने जनपद के अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराते हुये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(मुकुल गोयल)

1- पुलिस आयुक्त, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर एवं वाराणसी ।

2- समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

प्रतिलिपि:निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश।

2- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

4- पुलिस महानिरीक्षक, कानून-व्यवस्था, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

परिपत्र संख्या-डीजी-26/2018

ओम प्रकाश सिंह
आईपीएस

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः मई 30, 2018

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि प्रदेश के ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के विवाद होते रहते हैं, जिसके निस्तारण में पुलिस अपनी भूमिका का निर्वाहन करती है। किन्तु पुलिस की उक्त भूमिका की एक सीमा है और उस भूमिका में स्थानीय स्तर पर सक्रिय योगदान के लिए यदि जनपद के सम्भ्रान्त व्यक्तियों का भी सहयोग लिया जाए तो विवादों के निपटारे अधिक कुशलता से किये जा सकते हैं, जिससे आम नागरिक को थाने एवं न्यायालय जाने में होने वाली कठिनाइयों से बचने का एक विकल्प भी रहेगा। इसके साथ ही पुलिस मित्र और सामुदायिक पुलिसिंग जैसी आवश्यक एवं औचित्यपूर्ण प्रणाली का व्यवहारिक सदुपयोग भी हो सकेगा।

2. कम्यूनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम से सम्बन्धित पुलिस एडवाइजरी एवं योजना समूह की बैठक में एस-7/एस-10 के सम्बन्ध में विचार-विमर्स के पश्चात सुझाव प्रस्तुत किये गये है, जो निम्नवत् हैः-

- एस-7/एस-10 के स्थान पर प्रोग्राम का नाम केवल एस-10 होना चाहिए, जिसमें मोहल्ले/गांव के लगभग 10 सम्भ्रान्त व्यक्ति होने चाहिए। ग्रामीण पृष्ठभूमि के अधिकांश गांवो में जमीन सम्बन्धी विवाद या छोटे-मोटे झगडे होते है तथा टाउन एरिया, म्युनिस्पिलिटी एवं म्युनिस्पल कॉरपोरेशन के क्षेत्रों में अधिकांशतः छोटे-मोटे झगडे साम्प्रदायिक रूप लेते हैं।
- सदस्यों में गांवो के प्रधान एवं पूर्व प्रधान को उसका सदस्य अवश्य बनाये तथा अन्य सम्भ्रान्त व्यक्ति हो इन झगडों को सुलझाने में पुलिस की मदद कर सकते है, को सदस्य बनाया जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में इस कमेटी का मोटो "गांव का झगड़ा गांव में सुलझाए, कोर्ट-कचेहरी हम क्यों जाएं" होना चाहिए तथा शहरी क्षेत्र के मोहल्लों में इसका उद्देश्य साम्प्रदायिक सौहार्द बढाना होना चाहिए।
- बीट इंचार्ज को एक माह में एक दिन ग्राम/मोहल्ले में जाकर एस-10 की मीटिंग अवश्य करनी चाहिए। बीट इंचार्ज को एक गांव के एस-10 के सदस्यों का वाट्सएप ग्रुप बनाकर निरन्तर सम्पर्क स्थापित किये रहना चाहिए तथा समय-समय पर सदस्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि गांव में किसी प्रकार का झगड़ा होने पर उसकी सूचना तत्काल बीट इंचार्ज को दें। इस प्रकार की मीटिंग करने से छोटे-मोटे विवाद का हल संभव है। यदि हल संभव न भी हो तो कम से कम आपसी कटुता, वैमनस्यता में कमी लानी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रो में थाना स्तर पर पीस कमेटी पूर्व से ही प्रचलित है तथा त्यौहारो से पहले उनकी मीटिंग क्षेत्राधिकारियों द्वारा की जाती है, लेकिन मोहल्ले स्तर पर उक्त प्रकार की मीटिंग अधिकांशतः प्रचलन में नही है। माह में एक बार मीटिंग का छोटे-मोटे विवाद को निपटाने के साथ ही साम्प्रदायिक सौहार्द बढाने का प्रयास किया जाना चाहिए और यदि गांव में कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है, जो प्रशंसा के योग्य है तो उसे क्षेत्राधिकारी से इस संबंध में एक प्रशंसा पत्र निर्गत कराकर दिया जा सकता है।
- इस गोष्ठी में बीट इंचार्ज द्वारा लडकियो से छेडछाड रोकना तथा शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में साफ-सफाई रखना, यातायात नियमों का पालन करना इत्यादि के बारे में प्रेरित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रो में बीट इंचार्ज द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यदि कोई घटना घटित होती है तो पुलिस बल के पहुँचने के पहले एस-10 के सदस्य स्थिति को नियंत्रण में रखने

का प्रयास करेगें। एस-10 का कोई भी व्यक्ति यदि किसी अपराधी को पकड़वाने में सहायता प्रदान करता है तो उसके सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जा सकता है।

- एस-10 के सभी सदस्य किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति को 107/107(3) में पाबंद न करने पर विचार किया जाए।
- ग्राम चौकीदार ऐसी गोष्ठी में अवश्य भाग लें और उन्हें भी एस-10 के सभी सदस्यों से सम्पर्क में रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- सभी एस-10 के सदस्यों को क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी/बीट इंचार्ज तथा बीट कांस्टेबिल के मोबाइल नम्बर दिए जाने चाहिए।
- क्षेत्राधिकारी एस-10 के कम से कम एक सदस्य से प्रत्येक सप्ताह फोन पर बात कर लें। आगामी त्योहारों में कोई नई परम्परा प्रारम्भ न करने के सम्बन्ध में पुलिस का सहयोग करने की अपील करें।
- एस-10 के सदस्य गौकशी व अवैध पशु तस्करी के बारे में थाना प्रभारी कि अवश्य जानकारी दें। पूर्व में ही सभी साम्प्रदायिक विवादों की जानकारी एस-10 की गोष्ठी में सभी सदस्यों को दें तथा उनके बारे में विस्तृत विवरण बीट इंचार्ज अवश्य रखें। कोई भी घटना घटित होने पर उसकी मोबाइल से फोटो लेकर बीट इंचार्ज/थाना प्रभारी को देने के लिए प्रेरित करें।
- पुलिस द्वारा किये गये अच्छे कार्यो को इन गोष्ठियों में अवश्य बताएं।
- मन्दिर/मस्जिद में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर नियंत्रण के लिए एस-10 के सदस्यो को बताया जाए तथा सभी एस-10 के सदस्यों के पास मन्दिर के पुजारी एवं मस्जिद के मौलवियों का मोबाइल नम्बर अवश्य होना चाहिए।
- व्यक्तिगत रूप से एस-10 के सदस्यों को परिचय-पत्र न जारी करें, बल्कि क्षेत्राधिकारी द्वारा एस-10 के निम्नलिखित सदस्यों को निम्नलिखित प्रारूप में एक सूची दी जानी चाहिए, जो संलग्नक-1 में दिया जा रहा है।

मै आप सबसे अपेक्षा करूँगा कि परिपत्र के साथ प्रेषित किये जा रहे प्रारूप में सूचनाओं का संकलन कर अपेक्षित कार्यवाही किये जाने हेतु अपने जनपद के अधिकारी/कर्मचारी को अवगत कराते हुए उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

30/5/16

(ओम प्रकाश सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5.पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानून एंव व्यवस्था, उ0प्र0।

संलग्नक-1

सम्भ्रान्त पुलिस मित्र (एस-10) के सदस्यों की सूची

1. ग्राम को वाद मुक्त, अपराधमुक्त तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बढाने के लि निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष-2018 के लिए सम्भ्रान्त पुलिस मित्र(एस-10)क कमेटी में रखा जाता है।

1. ग्राम
2. थाना
3. जिला
4. तहसील
5. सदस्यों के नाम

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-

कार्य :-

छोटे-मोटे विवादो का समाधान, साम्प्रदायिक सौहार्द बढाना, झूठी भ्रामक बातों का खण्डन करना, जनता व पुलिस के बीच की दूरी कम करना, घटना की तत्काल जानकारी पुलिस को प्रदान करना तथा पर्यावरण, साफ-सफाई को बढावा देना।

क्षेत्राधिकारी
जनपद-